विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 26)

[28 मई, 2007]

विद्युत अधिनियम, 2003
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2003 का 36 — 2. विद्युत अधिनियम, 2003 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— — धारा 6 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"6. संबद्ध राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार, सभी क्षेत्रों तक, जिनके अन्तर्गत ग्राम और उपग्राम भी हैं, ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने का संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी।"। — ग्रामीण विद्युतीकरण में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व।

धारा 9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि किसी अनुज्ञप्तिधारी को, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार और किसी उपभोक्ता को, धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, किसी आबद्ध उत्पादन संयंत्र से उत्पादित विद्युत के प्रदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।"।

धारा 38 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (घ) में,—

(i) दूसरे परन्तुक में, "उत्तरोत्तर घटाया और ऐसी रीति में समाप्त किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में उत्तरोत्तर घटाया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) तीसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा।

धारा 39 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (घ) में,—

(i) दूसरे परन्तुक में, "उत्तरोत्तर घटाया और ऐसी रीति में समाप्त किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में उत्तरोत्तर घटाया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) तीसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा।

धारा 40 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 40 में,—

(i) दूसरे परन्तुक में, "उत्तरोत्तर घटाया और ऐसी रीति में समाप्त किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रीति में उत्तरोत्तर घटाया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) तीसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा।

धारा 42 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) में,—

(i) पहले परन्तुक में, "किसी अधिभार का संदाय करने पर प्रतिसहायिकी को समाप्त किए जाने के पूर्व अनुज्ञात की जाएगी" शब्दों के स्थान पर "किसी अधिभार का संदाय करने पर अनुज्ञात की जाएगी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) तीसरे परन्तुक में "और समाप्त की" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 43 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में,—

(i) "प्रत्येक वितरण" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक वितरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "आवेदन" से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है, जो आवश्यक प्रभारों के संदाय और अन्य अनुपालनों को दर्शाने वाले दस्तावेजों सहित, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा अपेक्षित समुचित प्ररूप में सभी प्रकार से पूर्ण है।'।

धारा 50 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

विद्युत प्रदाय कोड।

"50. राज्य आयोग, विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के बिलों के अंतरालों, उसके असंदाय के लिए विद्युत के प्रदाय की लाइन को काटने, विद्युत प्रदाय के प्रत्यावर्तन, विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, नुकसान या क्षति को रोकने के लिए उपाय, प्रदाय की लाइन को काटने और मीटर को हटाने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के प्रवेश, विद्युत लाइनें या विद्युत संयंत्रों या मीटर को बदलने, परिवर्तित करने या उनके अनुरक्षण के लिए प्रवेश और ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए एक विद्युत प्रदाय कोड विनिर्दिष्ट करेगा।"।

धारा 61 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 61 में, खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) टैरिफ क्रमिक रूप से विद्युत प्रदाय की लागत को प्रतिबिंबित करता है और समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, प्रतिसहायिकियों को भी कम करता है;"।

11. मूल अधिनियम की धारा 126 में,— धारा 126 का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (2) के अधीन आदेश की तामील की गई है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनंतिम निर्धारण के विरुद्ध आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल करने का हकदार होगा, जो उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनंतिम निर्धारण के ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय विद्युत प्रभारों के निर्धारण का अंतिम आदेश पारित करेगा।";

(ii) उपधारा (4) के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग हुआ है तो उस पूर्ण अवधि का, जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, निर्धारण किया जाएगा और यदि, उस अवधि को, जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी अवधि, निरीक्षण की तारीख से ठीक पहले के बारह मास की अवधि तक सीमित होगी।";

(iv) उपधारा (6) में, "डेढ़ गुने" शब्दों के स्थान पर "दोगुने" शब्द रखा जाएगा;

(v) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(iv) उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए, जिसके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत था;

या

(v) उन परिसरों या क्षेत्रों से भिन्न परिसरों या क्षेत्रों के लिए, जिनके लिए विद्युत का प्रदाय प्राधिकृत था।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में, "निर्धारित रकम के एक तिहाई" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारित रकम के आधे" शब्द रखे जाएंगे। धारा 127 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 135 में,— धारा 135 का संशोधन।

(अ) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

'(1) जो कोई बेइमानी से,—

(क) यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता की शिरोपरि, भूमिगत या जल के अंदर की लाइनों या केबिलों या सर्विस तारों या सर्विस सुविधाओं से कोई टैप करेगा, कनेक्शन करेगा या करवाएगा; या

(ख) मीटर से छेड़छाड़ करेगा, बिगाड़े गए मीटर, धारा प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या किसी अन्य युक्ति या पद्धति को संस्थापित करेगा या उसका उपयोग करेगा, जिससे विद्युत धारा के ठीक-ठीक या उचित रजिस्ट्रीकरण, अंशांकन या मापने में बाधा पड़ती है या उसका किसी रीति से अन्यथा परिणाम निकलता है, जिससे विद्युत की चोरी होती है या विद्युत बर्बाद होती है; या

(ग) किसी विद्युत मीटर, साधित्र, उपस्कर या तार को नुकसान पहुंचाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा उनमें से किसी को इस प्रकार नुकसान पहुंचवाएगा या नाश करवाएगा या होने देगा, जिससे कि विद्युत के उचित या ठीक-ठीक मापने में बाधा पड़ती है; या

(घ) बिगाड़े गए मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करेगा; या

(ङ) उन प्रयोजनों से, जिनके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया था, भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए विद्युत का उपयोग करेगा,

जिससे कि विद्युत खिंचती है या उसका उपभोग होता है या उपयोग होता है तो वह, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा:

परंतु जहां खींचा गया, उपभोग किया गया, उपयोग किया गया विद्युत भार या खींचे जाने, उपभोग किए जाने, उपयोग किए जाने के लिए, किए गए प्रयास से विद्युत भार—

(i) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के छह गुना से कम नहीं होगा;

(ii) 10 किलोवाट से अधिक नहीं होता है, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना, विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय अभिलाभ के तीन गुना से कम नहीं होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दंडादेश ऐसे, कारावास का, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं हो सकेगी, किन्तु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने का होगा, जो विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ के छह गुना से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति की द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, जहां 10 किलोवाट से अधिक का भार, खींचा, उपभोग या उपयोग किया गया है या खींचने का या उपभोग का या उपयोग का प्रयत्न किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अवधि के लिए, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, विद्युत के किसी प्रदाय को प्राप्त करने से भी विवर्जित किया जाएगा और वह किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केंद्र से उस अवधि के लिए विद्युत प्रदाय प्राप्त करने से भी विवर्जित होगा:

परंतु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता के पास ऐसे कृत्रिम साधन या साधन, यथास्थिति, बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता द्वारा प्राधिकृत न किए गए साधन विद्युत के खींचने, उपभोग या उपयोग के लिए विद्यमान हैं तो जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि, विद्युत का खींचना, उपभोग या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानीपूर्वक किया गया है।

(1क) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, विद्युत की ऐसी चोरी के पता चलने पर विद्युत के प्रदाय को तुरंत रोक सकेगा:

परंतु समुचित आयोग द्वारा, इस प्रयोजन के लिए यथा प्राधिकृत, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का केवल ऐसा अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अन्य प्राधिकारी ही विद्युत के प्रदाय की लाइन को काटेगा:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का ऐसा अधिकारी, ऐसे काटे जाने के समय से, चौबीस घंटे के भीतर अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में ऐसे अपराध को किए जाने के संबंध में लिखित रूप में एक शिकायत दाखिल करेगा:

परंतु यह भी कि, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित रकम या विद्युत प्रभारों को जमा करने या उसका संदाय करने पर, इस खंड के दूसरे परंतुक में यथा निर्दिष्ट शिकायत को दाखिल करने की बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जमा या संदाय के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत की प्रदाय लाइन को प्रत्यावर्तित करेगा;'';

(आ) उपधारा (2) में, ''प्राधिकृत कोई अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता का कोई अधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 150 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 150 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(3) धारा 135 की उपधारा (1), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो विद्युत ठेकेदार, पर्यवेक्षक या कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए, धारा 135 की उपधारा (1), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 या धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करेगा, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या बनाए

गए समझे गए नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति या सक्षमता प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र या ऐसा अन्य प्राधिकार, ऐसे दुष्प्रेरण के लिए उसकी दोषसिद्धि पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द भी किया जा सकेगा:

परंतु ऐसे रद्द किए जाने का कोई आदेश, ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना, नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो तत्समय प्रवृत्त ऐसी अनुज्ञप्ति या सक्षमता प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र या ऐसा अन्य प्राधिकार जारी या नवीकृत करता है।'।

15. मूल अधिनियम की धारा 151 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 151 का संशोधन।

1974 का 2 "परंतु न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन फाइल की गई किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर भी, संज्ञान ले सकेगा:

परंतु यह और कि धारा 153 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय, किसी अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना, किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होगा।"।

16. मूल अधिनियम की धारा 151 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 151क और धारा 151ख का अंत:स्थापन।

"151क. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, पुलिस अधिकारी को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 में यथा उपबंधित सभी शक्तियां होंगी। अन्वेषण करने की पुलिस की शक्ति। 1974 का 2

151ख. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 135 से धारा 140 तक या धारा 150 के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।"। कतिपय अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। 1974 का 2

17. मूल अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) में "धारा 135 से धारा 139 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 135 से धारा 140 और धारा 150" शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 153 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 154 में,— धारा 154 का संशोधन।

(i) "धारा 135 से धारा 139 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 135 से धारा 140 तक और धारा 150" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में, "विशेष न्यायालय, किसी उपभोक्ता या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऊर्जा की चोरी के लिए धन के रूप में सिविल दायित्व का अवधारण कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "विशेष न्यायालय, किसी उपभोक्ता या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऊर्जा की चोरी के लिए धन के रूप में सिविल दायित्व का अवधारण करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

19. मूल अधिनियम की धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (ख) में, "अतिरिक्त अपेक्षाएं (जिसके अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता या आचार संहिता भी है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता या आचार संहिता से संबंधित अतिरिक्त अपेक्षाएं" शब्द रखे जाएंगे। धारा 176 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (2) में,— धारा 178 का संशोधन।

(i) खंड (ट) में, "और समाप्ति" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ड) में, "और समाप्ति" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:—

"(द) धारा 61 के खंड (छ) के अधीन प्रतिसहायिकियां कम करने की रीति;"।

धारा 181का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 181 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ञ) में, ''और उसकी समाप्ति'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ड) में, ''और उसकी समाप्ति'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (त) में, ''और उसकी समाप्ति'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (यग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(यग) धारा 61 के खंड (छ) के अधीन प्रतिसहायिकियां कम करने की रीति;''।

राष्ट्रपति ने दि इलैक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Electricity (Amendment) Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2707OLW(S-5)—13.08.2007.